

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)
अधिसूचना
[सं. 15/2026-सीमा शुल्क]

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2026

का.आ..... बोर्ड, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यात्री बैगेज (फीस उद्ग्रहण) विनियम, 1966, बैगेज (सीमा शुल्क स्टेशनों के पारगमन) विनियम, 1967 और सीमा शुल्क बैगेज घोषणा विनियम, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ -

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम सीमा शुल्क बैगेज (घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2026 है ।
- (2) ये विनियम उस बैगेज पर लागू होंगे, जिसके अंतर्गत भारत आने अथवा भारत से बाहर जाने वाले यात्रियों के बैगेज, जिसमें उनके समाविष्ट पैकेज सम्मिलित हैं ।
- (3) ये 2 फरवरी, 2026 को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं - (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) “अधिनियम” से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) अभिप्रेत है;
- (ख) “स्वचालित प्रणाली” से यूआरएल <https://www.icegate.gov.in> या वेब एप्लिकेशन या अतिथि के नाम से मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पहुंच योग्य पोर्टल अभिप्रेत है ।
- (ग) “सीमा शुल्क बैगेज घोषणा या सीबीडी” से इन विनियमों के साथ संलग्न घोषणा प्ररूप अभिप्रेत है ।
- (घ) “ग्रीन चैनल” से उन यात्रियों के उपयोग के लिए वॉक-थ्रू चैनल अभिप्रेत है, जिनसे रेड चैनल पर रिपोर्ट करना अपेक्षित नहीं है ।
- (ङ) “रेड चैनल” से उन यात्रियों के उपयोग के लिए एक समर्पित वॉक-थ्रू चैनल अभिप्रेत हैं, जिन्हें शुल्क के संदाय के लिए माल की घोषणा करनी होती है, इसमें वे लोग सम्मिलित नहीं हैं जिनके द्वारा शुल्क का संदाय पहले ही किया जा चुका है या जो सीबीडी-1 में विनिर्दिष्ट आयात प्रतिबंधों के अधीन माल ले जा रहे हैं ।

(च) “समर्थक दस्तावेज” से अधिनियम की धारा 77 के अधीन बैगेज की घोषणा के लिए सुसंगत इलेक्ट्रानिक रूप में या अन्यथा ऐसे दस्तावेज अभिप्रेत हैं;

(छ) “भारतीय मूल के पर्यटक” में अनिवासी भारतीय और भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक सम्मिलित हैं और इन पदों का वही अर्थ होगा जो तत्समय प्रवृत्त किन्हीं अन्य विधियों के अधीन उन्हें दिया गया है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं परिभाषित नहीं, किन्तु सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) में परिभाषित होगा, वही अर्थ होंगे, जो उनके उक्त अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों में हैं ।

3. भारत में आने वाले बैगेज की घोषणा की रीति - (1) भारत आने वाले सभी यात्री जो शुल्क्य अथवा प्रतिषिद्ध माल ले जा रहे हैं, ग्रीन चैनल में प्रवेश करने से पूर्व स्वचालित प्रणाली के माध्यम से सहायक दस्तावेज, यदि कोई हो, के साथ सीबीडी-1 में अपने साथ लाए गए बैगेज की इलेक्ट्रॉनिक रूप से घोषणा करेंगे :

परन्तु यात्री, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के उपबंधों के अधीन यथाअपेक्षित इन विनियमों में संलग्न करेंसी घोषणा प्ररूप में करेंसी की घोषणा करेगा:

परन्तु यह और कि यात्री, पशुपालन और डेयरी विभाग, पशु क्वारंटाइन और प्रमाणीकरण सेवा के अधीन जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पालतू जानवरों के लिए अनापत्ति प्रमाणीकरण (एनओसी) के ब्यौरे और विदेशी व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी आयात अधिप्रमाणन की अग्रिम रूप से घोषणा करेगा ।

(2) दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुल्क्य वैयक्तिक चीजवस्तु को अंतर्विष्ट करने वाले असंगी बैगेज के संबंध में, यात्री किन्हीं समर्थित दस्तावेजों, यदि कोई हो के साथ इलेक्ट्रानिक रूप से सीबीडी-2 अंतर्वस्तुओं की घोषणा करेगा ।

(3) उप विनियम (1) या उप विनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति सहायक सीमा शुल्क आयुक्त या उप सीमा शुल्क आयुक्त ऐसे मामलों में जहां घोषणा इलेक्ट्रानिक रूप से नहीं की गई है, आगमन पर किसी अन्य रीति से की गई घोषणा को अनुज्ञात कर सकता है ।

(4) यथास्थिति, असंगी बैगेज के संबंध में यात्री के आगमन से तीन दिन पूर्व या बैगेज के साथ के संबंध में यात्री के आगमन से तीन दिन पूर्व घोषणा कर सकता है:

परन्तु इस उप नियम में की गई कोई घोषणा अधिनियम की धारा 77 के अधीन घोषणा नहीं समझी जाएगी किंतु यथास्थिति, किसी यात्री या असंगी बैगेज आगमन की तारीख पर गणना की जाएगी ।

(5) इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा फाइल की गई बैगेज घोषणा जोखिम आधारित मूल्यांकन के आधार पर प्राथमिक सत्यापन के अध्याधीन होगी ।

स्पष्टीकरण - इस विनियम के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत में आने वाले ऐसे यात्री जो शुल्क या प्रतिषिद्ध माल का वहन करते हैं और उन्होंने बैगेज के साथ इलेक्ट्रानिक रूप में घोषणा की है वे अपने आगमन की तारीख और आज तक के संबंधित ब्यौरे को अद्यतन कर सकते हैं ।

4. बैगेज के अस्थायी आयात या पुनः आयात की घोषणा की रीति - (1) ऐसे यात्री जो प्रयुक्त वैयक्तिक चीजबस्तों से भिन्न वैयक्तिक चीजबस्तों में कोई वस्तु ले जाते हैं, जो जीवन की दैनिक आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए अपेक्षित है, भारत से बाहर पूर्व में ले जाया गया हो और वापसी के समय शुल्क के मुक्ति की निकासी के लिए आशयित हैं, भारत से प्रस्थान करने से पूर्व अग्रिम रूप से ऐसी वस्तुओं की इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा घोषणा करेंगे ।

(2) यात्री को उप विनियम (1) के अधीन की गई घोषणा के लिए इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा सीबीडी-3 में निर्यात प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा ।

(3) जारी किया गया निर्यात प्रमाणपत्र जोखिम आधारित सत्यापन और अनुपालन के अध्यक्षीन यात्री के जीवन की दैनिक आवश्यकताओं के समाधान के लिए अपेक्षित वैयक्तिक चीजबस्तों से भिन्न, वैयक्तिक चीजबस्तों के पुनः आयात के लिए यात्री के भारत में प्रथम आगमन या छह मास की अवधि, जो भी पहले हो विधिमान्य होगा ।

(4) ऐसे पर्यटक, जो जीवन की दैनिक आवश्यकताओं के समाधान के लिए अपेक्षित व्यक्तिगत चीजबस्तों के लिए प्रयुक्त से भिन्न वैयक्तिक चीजबस्तों की वस्तु ले जाता है, भारत में रुकने की अपेक्षा करता है और भारत से पर्यटकों के प्रथम प्रस्थान के समय से पुनः निर्यात के अध्यक्षीन या छह मास के भीतर, जो भी पूर्व हो, अस्थायी शुल्क मुक्त आयात का उपभोग करने का आशय रखता है, आगमन के समय ऐसी वस्तुओं की इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा घोषणा करेगा ।

(5) पर्यटक उप विनियम (4) में की गई घोषणा के लिए सीबीडी-4 में अस्थायी बैगेज आयात प्रमाणपत्र जारी कर सकेंगे और प्रस्थान के समय सीमा शुल्क के समक्ष वस्तुओं के साथ प्रस्तुत किया जाएगा ।

5. बैगेज की परीक्षा और निकासी - (1) ऐसा यात्री, जिसने घोषणा की है वह बैगेज को रेड चैनल पर सीमा शुल्क अधिकारी या उसकी परीक्षा सहित सत्यापन के लिए यथास्थिति, निकासी के लिए सीमा शुल्क अधिसूचित क्षेत्र में प्रस्तुत करना होगा ।

(2) जहां उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी बैगेज में कोई प्रतिषिद्ध माल नहीं है और शुल्क के संदाय के सत्यापन पर वास्तविक बैगेज को निकासी के लिए अनुज्ञात किया जाएगा तथा अन्य मामलों में, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई संस्थित की जा सकेगी ।

6. सीमा शुल्क स्टेशनों तक असंगी बैगेज के साथ परिवहन - (1) जहां किसी भी यात्री का असंगी बैगेज के साथ किसी भी सीमा शुल्क स्टेशन में बदलने के लिए आयात किया जाता है यथास्थिति आगमन घोषणापत्र या आयात घोषणापत्र या आयात रिपोर्ट में, यात्री के अनुरोध पर किसी अन्य सीमा शुल्क स्टेशन में अनुरोध के आधार पर,

उस सीमा शुल्क स्टेशन से भिन्न जहां बैगेज पहुंचा है, ऐसे बैगेज को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, यात्री की वांछा के अनुसार सीमा शुल्क स्टेशन तक वायुयान या रेल या सड़क मार्ग से ले जाने की अनुमति दी जा सकती है, अर्थात:-

(क) जहां यात्री या उसके अभिकर्ता द्वारा ऐसे बैगेज के आगमन के सीमा शुल्क स्टेशन से उस सीमा शुल्क स्टेशन तक, जहां से वह ऐसे बैगेज की अनुमति चाहता है, उस स्टेशन तक परिवहन, उसकी बुकिंग और उस सीमा शुल्क स्टेशन तक उसके परिवहन के लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं;

(ख) बैगेज को यात्री या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में आगमन के सीमा शुल्क स्टेशन पर सील कर दिया जाएगा;

(ग) माल के प्राधिकृत वाहक को, यथास्थिति, आगमन के सीमा शुल्क स्टेशन पर, प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त की संतुष्टि के लिए बांड और प्रतिभूति के निष्पादन पर माल के परिवहन की अनुमति दी जाएगी।

7. बैगेज की अभिरक्षा और निपटान - (1) जहां बैगेज में प्रतिबंधित या शुल्क्य माल है, उचित अधिकारी यात्री के अनुरोध पर या अन्यथा ऐसे माल को भारत छोड़ने पर या सीबीडी-5 में अन्यथा, यात्री को वापस करने के प्रयोजन से रोक सकता है।

(2) इस प्रकार निरुद्ध किए गए या अदावाकृत बैगेज, यथास्थिति, प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त या आयुक्त सीमा शुल्क द्वारा यथा अनुमोदन पर सीमा शुल्क या किसी अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा में रहेगा।

परंतु, बैगेज, जिसमें उसमें सम्मिलित कोई भी पैकेज हो, जो यात्रियों से निरुद्ध किया गया हो या ज़ब्त किया गया हो या अदावाकृत मानकर अपने कब्जे में ले लिया गया हो, और तत्पश्चात् छोड़ा गया हो या वापस किया गया हो, के संबंध में शुल्क उस समय एकत्रित किया जाएगा, जब बैगेज या पैकेज छोड़ा या वापस किया गया हो :

परंतु यह और कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा निरुद्ध किए गए, किन्तु वास्तविक पाए जाने के आधार पर यात्री को लौटाए गए किसी बैगेज या पैकेज के संबंध में कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

(3) निरुद्ध बैगेज या अदावाकृत सामान, यात्री के आगमन से छह महीने की अवधि के भीतर या प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त के समाधान के लिए छह महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाए गए समय के भीतर, जो भी पश्चातवर्ती हो, निकासी नहीं की जाती हो या फिर से निर्यात नहीं किया जाता, ऐसा बैगेज यात्री को नोटिस देने के पश्चात् और उचित अधिकारी की आज्ञा से, जिस व्यक्ति के पास वह बैगेज है, वह उसका विक्रय कर सकता है या अन्यथा निपटा सकता है।

(4) जहां बैगेज विक्रय किया जाता है, वहां विक्रय की आय निम्नलिखित रूप से विनियोजित की जाएगी अर्थात् :-

(क) विक्रय के लिए व्यय का संदाय;

(ख) विक्रय किए गए माल के संबंध में संदेय माल की ढुलाई और दूसरे प्रभार यदि कोई हों, वाहक को देने होंगे, यदि ऐसे प्रभार की सूचना माल की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति को दे दी गई है;

(ग) विक्रय किए गए माल पर शुल्क का संदाय, यदि कोई हो;

(घ) माल की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति के लिए विक्रय किए गए माल के संबंध में प्रभार का संदाय;

(ङ) इस अधिनियम या सीमा शुल्क से संबंधित किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन माल के स्वामी से केंद्रीय सरकार को देय किसी राशि का संदाय और शेष बकाया रकम, यदि कोई हो, तो माल के स्वामी को संदाय कर दी जाएगी:

परंतु जहां विक्रय की आय के शेष का संदाय माल के स्वामी, यदि कोई हो, को किया जाना संभव नहीं है तो ऐसे माल के विक्रय की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जिसे प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त अनुमति दें, विक्रय से प्राप्त ऐसा शेष केंद्रीय सरकार को संदाय कर दिया जाएगा ।

8. यात्री से भिन्न फाइल किया जाना - (1) कोई घोषणा जो यात्री द्वारा फाइल किया जाना अपेक्षित है, असंगी बैगेज के संबंध में यात्री द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी फाइल की जा सकेगी।

(2) ऐसे यात्री के संबंध में जिसने अठ्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, केवल कुटुंब सदस्य या विधिक अभिरक्षक द्वारा घोषणा फाइल की जा सकेगी :

परंतु यदि ऐसा यात्री अकेले यात्रा कर रहा है, उस यात्री द्वारा घोषणा की जा सकेगी ।

9. अभिलेखों का प्रतिधारण - (1) घोषणा और सभी सहायक दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक घोषणा या अन्यथा फाइल करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक प्रतिधारित किया जाएगा।

10. शास्ति - कोई व्यक्ति जो इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा या ऐसे उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा अथवा इन विनियमों के किसी ऐसे उपबंध का अनुपालन करने में असफल होगा, जिसका अनुपालन करना उसका कर्तव्य था, वह अधिनियम की धारा 158 की उपधारा (2) के खंड (ii) के अधीन शास्ति के लिए दायी होगा ।

[सं. 450/174/2024- सीयूएस- IV]

(अनुरिमा शर्मा)
निदेशक (सीमा शुल्क)

सीबीडी-1

विनियम 3(1) देखें

(भारतीय सीमा शुल्क घोषणा प्ररूप)

(कृपया यह प्ररूप भरने से पहले नीचे दी गई महत्वपूर्ण जानकारी देखें)

1. यात्री का नाम
2. पासपोर्ट संख्या
3. राष्ट्रियता.....
4. आगमन तारीख..... (दिन/माह/वर्ष)
5. उड़ान संख्या
6. ई टिकट सं.
7. पीएनआर.....
8. मोबाइल नं.
9. ईमेल:
10. स्थानीय पता
11. विदेश का पता
12. बैगेज की संख्या (हैंड बैगेज सहित)
13. वह देश जहाँ से आ रहे हैं.....
14. पिछले छह दिनों में यात्रा किए गए देश
15. शुल्क निर्धारण के अधीन प्रयुक्त वैयक्तिक चीजबस्तों से भिन्न अन्य वस्तुओं का मूल्य (रु. में)
16. क्या आप कोई पालतू जानवर ले जा रहे हैं? हाँ/नहीं
(i) यदि हाँ, तो कृपया एन.ओ.सी./आयात प्राधिकार संलग्न करें हाँ /नहीं
17. क्या आप आभूषण ले जा रहे हैं, जो जीवन की दैनिक आवश्यकताओं के समाधान हेतु अपेक्षित नहीं है या जो पात्र यात्री के लिए आभूषण के लिए विहित विशेष भत्ते से अधिक है? हाँ/नहीं

यदि हां,

(i) व्यक्तिगत आभूषण का वजन (नया/प्रयोग किया हुआ):

(ii) ले जाए जा रहे आभूषण का वजन:

18. क्या आप ये वस्तुएं भारत में ला रहे हैं ?(कृपया हाँ या नहीं पर टिक करें)

- | | | |
|--------|--|----------|
| (i) | प्रतिषिद्ध वस्तुएँ | हाँ/नहीं |
| (ii) | टेलीविजन | हाँ/नहीं |
| (iii) | स्वर्ण बुलियन | हां नहीं |
| (iv) | मांस और मांस उत्पाद/डेयरी उत्पाद/मछली/पोल्ट्री उत्पाद | हां/नहीं |
| (v) | बीज/पौधे/फल/फूल/अन्य रोपण सामग्री | हां/नहीं |
| (vi) | सैटेलाइट फोन | हां/नहीं |
| (vii) | 25,000/- रुपये से अधिक की भारतीय मुद्रा | हां/नहीं |
| (viii) | 5,000 अमेरिकी डॉलर या समतुल्य से अधिक विदेशी मुद्रा | हां/नहीं |
| (ix) | विदेशी मुद्रा का सकल मूल्य, जिसके अंतर्गत 10,000 अमेरिकी डॉलर या समतुल्य भी है | हां/नहीं |
| (x) | ड्रोन | हां/नहीं |

क्रम संख्या 16, 17 और 18 पर दिया गया उत्तर यदि 'हाँ' है, तो कृपया रेड चैनल पर सीमा शुल्क अधिकारी को रिपोर्ट करें।

घोषणा:

19. मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त घोषणा मेरी जानकारी के अनुसार सही और सत्य है और इस बारे में कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

यात्री / प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

महत्वपूर्ण सूचना

निम्नलिखित के संबंध में आयात के लिए प्रतिषिद्ध वस्तु :

1. मानचित्र और साहित्य में भारत की बाहरी सीमाओं को गलत रीति से दिखाया गया है।
2. स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ।
3. विधिक रूप से प्रवर्तनीय किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन करने वाला माल।
4. वन्य जीव उत्पाद।
5. भारतीय नकली मुद्रा नोट/सिक्का।
6. विनिर्दिष्ट जीवित पक्षी और जानवर।

सीमा-शुल्क मुक्त भत्ता

क्र.सं.	यात्री	यात्रा की पद्धति	शुल्क मुक्त भत्ता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	शिशुओं को छोड़कर भारतीय निवासी या भारतीय मूल का पर्यटक या पर्यटक वीज़ा से भिन्न विधिमान्य वीज़ा वाला विदेशी	भूमि से भिन्न किसी और रीति से आना	75000 रुपए
2.	शिशुओं को छोड़कर विदेशी मूल के पर्यटक	भूमि से भिन्न किसी और रीति से आना	25000 रुपए
3.	सभी यात्री	भूमि मार्ग से आगमन	शून्य
4.	भारतीय निवासी या भारतीय मूल का पर्यटक जो एक वर्ष से ज़्यादा समय से विदेश में रह रहा है	भूमि से भिन्न किसी और रीति से आना	आभूषण: स्त्री 40 ग्राम तक वज़न स्त्री से भिन्न यात्री 20 ग्राम तक वज़न
5.	सभी यात्री	भूमि से भिन्न किसी और रीति से आना	शराब या वाइन : 2 लीटर
6.	सभी यात्री	भूमि से भिन्न किसी और रीति से आना	100 स्टिक तक सिगरेट 25 सिगार या 125 ग्राम तक तंबाकू
7.	18 वर्ष और उससे अधिक आयु के यात्री	भूमि से भिन्न किसी और रीति से आना	एक नया लैपटॉप जिसके अंतर्गत नोट बुक भी है

शुल्कय माल के मूल्य पर सीमा शुल्क उदग्रहणीय है, जो सीमा शुल्क मुक्त के आधिक्य में है।

यदि इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा मिसहैंडल्ड बैगेज काउंटर पर सीमा शुल्क अधिकारी से, यदि कोई हो, आपका बैगेज आगमन पर गलत रीति से हैंडल किया जाता है/खो जाता है, निःशुल्क भत्ते का पृष्ठांकन प्राप्त करें ।

आयात के लिए प्रतिषिद्ध/निर्बंधित वस्तुओं की अद्यतन जानकारी के लिए या किसी भी मुश्किल या शिकायत के मामले में, कृपया आगमन हॉल में सीमा शुल्क हेल्प डेस्क से संपर्क करें ।

करेंसी घोषणा प्ररूप (सीडीएफ)

(विनियम 3(1) देखें)

यात्रियों के लिए अनुदेश :

1. यह प्ररूप उन मामलों में भरने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ यात्री द्वारा मुद्रा नोट, बैंक नोट, या ट्रेवलर्स चेक के रूप में लाई गई विदेशी मुद्रा की कुल कीमत 10,000/- यूएस डालर से ज्यादा नहीं है या इसके बराबर है और/या विदेशी मुद्रा नोट की कीमत 5,000 यूएस डालर से ज्यादा नहीं है या इसके बराबर है ।
2. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यह प्ररूप किसी ऐसे बैंक के पास जमा करें जो विदेशी मुद्रा या मनी चेंजर में डील करने के लिए प्राधिकृत हो, जब विदेशी मुद्रा को भारतीय रुपये में बदल रहे हों या रुपये को विदेशी मुद्रा में फिर से बदल रहे हों।
3. कैश नहीं करवाना चाहते हैं, तो उन्हें यह प्ररूप अपने पास रखना चाहिए जिससे भारत से निकलते समय सीमा शुल्क को दिखा सकें, जिससे वे बची हुई रकम अपने साथ ले जा सकें।
4. ट्रेवलर्स चेक या करेंसी नोट का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
5. विदेशी पर्यटकों को अपना पता बताने की ज़रूरत नहीं है।

(यात्रियों द्वारा भरा जाना है)

मैं _____ घोषणा करता/करती हूँ कि भारत आने के समय मेरे पास निम्नलिखित विदेशी मुद्रा है:

(केवल कुल मूल्य)

क्र. स.	करेंसी का नाम	करेंसी नोट	ट्रेवलर्स चेक	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

हस्ताक्षर _____

पासपोर्ट संख्या _____

राष्ट्रीयता _____

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पूरा किया जाना है

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर बताए गए व्यक्ति अपने साथ विदेशी मुद्रा लाए हैं।

तारीख:

(सीमा शुल्क अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर)

(पृष्ठांकन के लिए स्थान)

क्र. सं.	तारीख	नकदीकरण प्रमाणपत्र की सुभिन्न संख्या	परिवर्तित रकम	बैंक या मनीचेंजर की मुहर और हस्ताक्षर
	(1)	(2)	(3)	(4)

सीबीडी-2
(विनियम 3(2) देखें)
(आयात के लिए असंगी बैगेज घोषणा प्ररूप)

1. यात्री विवरण:

- (i) नाम (पूरा):
- (ii) स्थानीय पता 1:
- (iii) स्थानीय पता 2:
- (iv) शहर:
- (v) राज्य:
- (vi) पिन:
- (vii) मोबाइल नं. :
- (viii) ईमेल आईडी:
- (ix) राष्ट्रियता:
- (x) लिंग :
- (xi) पासपोर्ट संख्या:
- (xii) पासपोर्ट कब तक वैध है:
- (xiii) पुराना पासपोर्ट संख्या, अगर कोई हो:
- (xiv) भारत से यात्री के प्रस्थान की तारीख
- (xv) विदेश से यात्री के आगमन की तारीख

2. प्राधिकृत व्यक्ति यदि कोई है (सीमा शुल्क ब्रोकर सहित) तो उसकी जानकारी:

3. बैगेज विवरण:

- (i) बैगेज का प्रकार: टीआर/एनआर
- (ii) प्रेषण का देश:
- (iii) पोर्ट की लदाई/लोडिंग:
- (iv) माल की लदाई की तारीख:

- (v) क्या पहले टीआर का लाभ लिया है: हाँ/नहीं
- (vi) पिछले 3 वर्षों में टीआर का लाभ लेने की तारीखें:
- (vii) परिवहन दस्तावेज का ब्यौरा :

क्र. सं.	आईजीएम/एसएम संख्या और तारीख	एमएडब्ल्यूबी/एमबीएल संख्या और तारीख	एचएडब्ल्यूबी/एचबीएल संख्या और तारीख	कुल पैकेज	सकल भार (किलोग्राम में)

4. कंटेनरों का विवरण:

क्र. सं.	आईजीएम/एसएम संख्या	आईजीएम/एसएम तारीख	कंटेनर संख्या	सील संख्या

5. सिर्फ टीआर के लिए - पिछले दो वर्ष के दौरान भारत की छोटी यात्राओं का विवरण

क्र. सं.	तारीख	
	(भारत में आगमन की तारीख) से	(भारत से प्रस्थान की तारीख) तक

6. आयात किए गए वस्तु का विवरण:

क्र. सं.	वस्तु विवरण	अतिरिक्त विवरण:	ब्रांड	मात्रा	इकाई मात्रा कोड	इकाई मूल्य	कुल घोषित मूल्य

घोषणा:

- मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई विशिष्टियाँ सही और सत्य हैं।
- भारतीय मूल के निवासी/पर्यटक के लिए: मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि मैं विदेश में अपने दावे के आधार पर निवास भत्ते के अंतरण के लिए पात्र हूँ।

3. पर्यटन वीज़ा के अतिरिक्त विधिमान्य वीज़ा वाले विदेशी के लिए: मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि मैं भारत में अपने दावे किए गए स्टे के आधार पर आवास भत्ता के अंतरण के लिए पात्र हूँ। भारत में रहने के समय में कमी होने पर, मैं सीमा-शुल्क को इसके बारे में सूचित करूँगा/करूँगी।

4. मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि मैं/हम सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन उपबंधों का पालन करता/करती हूँ और लागू ब्याज के साथ शुल्क के संदाय के लिए उत्तरदायी हो सकता/सकती हूँ।

(यात्री/प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

टिप्पण : टीआर-स्थानांतरण निवास, एनटीआर- टीआर से भिन्न

सीबीडी- 3
(कृपया विनियम 4 देखें)
निर्यात प्रमाणपत्र

भाग - अ

1. यात्री का विवरण :

- (i) नाम (पूरा) :
- (ii) स्थानीय पता:
- (iii) विदेश का पता:
- (iv) मोबाइल सं.:
- (v) ईमेल आईडी:
- (vi) राष्ट्रियता:
- (vii) लिंग :
- (viii) पासपोर्ट संख्या:
- (ix) जारी करने का स्थान/तारीख:
- (x) भारत से यात्री के प्रस्थान की तारीख:

यात्री के हस्ताक्षर

2. वस्तु का विवरण :

क्र. सं.	बीजक विवरण, यदि कोई हो	वस्तुओं का विवरण (उत्पाद और विनिर्माता का नाम)	विशिष्टियों की पहचान (हॉलमार्क, मेक/संख्या, मॉडल संख्या और विनिर्माण का वर्ष)	कीमत	रंगीन फोटो	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

3. घोषणा:

1. मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई विशिष्टियाँ सही और सत्य हैं।
2. मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई वस्तु/वस्तुओं की विशिष्टियाँ मेरे निजी मूल्यवान वस्तु हैं और मेरे/मेरी निजी उपयोग के लिए हैं, वाणिज्यिक कार्यों के लिए नहीं। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि निर्यात पर ऊट्टी की छूट का दावा नहीं किया जा रहा है।

तारीख:

यात्री के हस्ताक्षर

सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा भरा जाना है

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित वस्तुओं का विवरण सत्यापित किया गया है और सही पाया गया है।

दिनांक	सीमा शुल्क अधिकारी का नाम और पदनाम	सीमा शुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर		पूर्ण आधिकारिक मुहर:	शिफ्ट प्रभारी डीसी/एसी का नाम	शिफ्ट प्रभारी डीसी/एसी के प्रतिहस्ताक्षर	पूर्ण आधिकारिक मुहर:
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)

टिप्पण : 1. यात्री द्वारा आवेदन जमा करने पर निर्यात प्रमाण पत्र संख्या और तिथि इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से उत्पन्न की जाएगी।

2. यदि यह प्रमाणपत्र मैन्युअल रूप से तैयार किया गया है, तो इस पर पूर्ण आधिकारिक मुहर लगाई जानी चाहिए।

सीबीडी - 4

(कृपया विनियम 4 देखें)

अस्थायी बैगेज आयात प्रमाणपत्र

भाग - क

1. यात्री का विवरण:

- (i) नाम (पूरा):
- (ii) विदेश का पता:
- (iii) भारत में पता:
- (iv) मोबाइल संख्या:
- (v) ईमेल आईडी:
- (vi) राष्ट्रियता:
- (vii) लिंग:
- (viii) पासपोर्ट संख्या:
- (ix) जारी करने का स्थान/तारीख:
- (x) भारत में आगमन की तारीख:
- (xi) उड़ान का विवरण:
- (xii) भारत से प्रस्थान की संभावित तारीख:
- (xiii) प्रस्थान का संभावित पोर्ट या एयरपोर्ट:

2. वस्तु का विवरण :

क्र. सं.	बीजक विवरण, यदि कोई हो	वस्तुओं का विवरण (उत्पाद और विनिर्माता का नाम)	विशिष्टियों की पहचान (हॉलमार्क, मेक/संख्या, मॉडल संख्या और विनिर्माण का वर्ष)	कीमत	रंगीन फोटो	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

3. घोषणा:

1. मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई विशिष्टियाँ सही और सत्य हैं।
2. मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई वस्तु/वस्तुओं की जानकारी मेरी निजी कीमती वस्तुएं हैं और मेरे निजी उपयोग के लिए न कि वाणिज्यिक कार्यों के लिए है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे रहने के दौरान उपयोग की गई वस्तुओं से भिन्न, ऐसी सभी वस्तुएं मेरे भारत से विदेश जाने पर फिर से निर्यात की जाएंगी।
3. मैं भारत से प्रस्थान के समय घोषित वस्तुओं को पुनः निर्यात करने का वचन देता/देती हूँ और मैं/हम सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों का पालन करता/करती हूँ और लागू ब्याज सहित शुल्क का संदाय करने के लिए उत्तरदायी हो सकता/सकती हूँ।

तारीख:

यात्री के हस्ताक्षर

सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा भरा जाना है

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित वस्तुओं का विवरण सत्यापित किया गया है और सही पाया गया है।

दिनांक	सीमा शुल्क अधिकारी का नाम और पदनाम	सीमा शुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर	पूर्ण आधिकारिक मुहर:	शिफ्ट प्रभारी डीसी/एसी का नाम	शिफ्ट प्रभारी डीसी/एसी के प्रतिहस्ताक्षर	पूर्ण आधिकारिक मुहर:
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

टिप्पण: 1. यात्री द्वारा जमा करने पर अस्थायी सामान आयात प्रमाण पत्र संख्या और तिथि इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से उत्पन्न की जाएगी।

2. यदि यह प्रमाणपत्र मैन्युअल रूप से तैयार किया गया है, तो इस पर पूर्ण आधिकारिक मुहर लगाई जानी चाहिए।

सीबीडी-5
(कृपया विनियम 7 देखें)
(निरुद्ध रसीद)

1. यात्री का विवरण :

- (i) नाम (पूरा):
- (ii) भारत में पता:
- (iii) विदेश का पता:
- (iv) मोबाइल संख्या :
- (v) इंस्टांट मैसेंजर संख्या:
- (vi) ईमेल आईडी:
- (vii) राष्ट्रियता:
- (viii) लिंग:
- (ix) पासपोर्ट संख्या:
- (x) जारी करने का स्थान या तारीख:
- (xi) भारत में आगमन की तारीख:
- (xii) आगमन का पोर्ट या एयरपोर्ट:
- (xiii) यात्री का बोर्डिंग पास:
- (xiv) उड़ान का विवरण :
- (xv) भारत से निकलने की संभावित तारीख, यदि कोई हो:
- (xvi) प्रस्थान का पोर्ट/एयरपोर्ट, यदि कोई हो :

2. वस्तु का विवरण :

- (i) बैगेज घोषणा संख्या :
- (ii) बैगेज घोषणा तारीख :
- (iii) वस्तु का विवरण :

घोषणा

3. मैं यह सुनिश्चित करता/करती हूँ कि परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया माल मेरा है ।
4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सत्य है ।

तारीख:

यात्री के हस्ताक्षर

भाग-ख

(आगमन पर सीमा-शुल्क पृष्ठांकन)

5. सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा निम्नलिखित विवरण भरनी होंगी:

- (i) बैगेज घोषणा संख्या और तारीख :
- (ii) यात्री का नाम:
- (iii) माल को निरुद्ध/ज़बती करने की तारीख और समय :
- (iv) निरुद्ध की गई/जब्त की गई वस्तुओं की संख्या:
- (v) निरुद्ध की गई/जब्त की गई वस्तु का मूल्यांकन विवरण:
- (vi) निरुद्ध की गई/जब्त की गई वस्तुओं का विवरण:

क्र. सं.	बीजक विवरण, यदि कोई हो	वस्तुओं का विवरण (उत्पाद और विनिर्माता का नाम)	विशिष्टियों की पहचान (हॉलमार्क, मेक/संख्या, मॉडल संख्या और विनिर्माण का वर्ष)	निरुद्ध की गई/जब्त की गई वस्तुओं का कुल वजन	कीमत	शुल्क, यदि कोई हो	रंगीन फोटो (यात्री की आस्थिति में)	निरुद्ध/ज़बती के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

6. प्रमाणित किया जाता है कि यात्री के पासपोर्ट, बोर्डिंग पास की प्रति एकत्रित कर ली गई है और निरुद्ध किए गए/जबती और अप्रेज़ल की प्रक्रिया और कार्रवाई समाप्त होने का अनुमानित समय यात्री को स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, निरुद्ध किए गए/जबती की गई वस्तुओं की इमेज यात्री के साथ शेयर की गई है।

क्र. सं.	तारीख	यात्री के हस्ताक्षर	निरुद्ध किए गए/ज़बती करने वाले सीमा शुल्क अधिकारी का नाम और पदनाम	सीमा-शुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)